भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्नभ सं 2343

(23 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशनभोगी

2343. श्री नीरज डांगीः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के तहत राज्यों में पेंशनभोगियों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए आयु वर्ग के अनुसार निर्दिष्ट केंद्रीय अंश को बढ़ाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (घ): एनएसएपी की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) सहित पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पेंशनभोगियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है , हालांकि राज्यज को विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत राज्य की उच्चतम सीमाओं के बीच समायोजन में कुछ लचीलेपन की अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की पेंशन योजनाओं के अंतर्गत आयु वर्ग के अनुसार सहायता राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि , राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएसएपी के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त टॉप-अप प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

*****